

# कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी ।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक:- 743 / 30एम0एम0सी / ई-निविदा / (गिट्टी / बोल्डर) / 2025-26 दिनांक: 10 / 10 / 2025

## ई-निविदा आमन्त्रण की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या-2595/86-2018-12 (सा0)/2018 भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ दिनांक: 03.12.2018 में दिये गये निर्देशों के अनुसार जनपद-झाँसी में जब्तशुदा उपखनिजों (ईमारती पत्थर यथा गिट्टी) के निम्नलिखित 10 भण्डारों, जिसमें भण्डारित उपखनिज की मात्रा 10,000.00 घनमीटर अथवा उससे अधिक है, को ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से अल्पकालीन परिहार पर स्वीकृत किये जाने के निमित्त उपलब्ध घोषित करते हुए इन भण्डारों के लिए सात कार्य दिवस अर्थात् दिनांक: 11/10/2025 के पूर्वान्ह 10:00 बजे से दिनांक: 17/10/2025 के अपरान्ह 05:00 बजे तक ई-टेंडर पोर्टल [etender.up.nic.in](http://etender.up.nic.in) पर एतद् द्वारा ई-निविदा आमंत्रित किया जाता है:-

### 1- जब्तशुदा उपखनिज के भण्डारों का विवरण:-

| क्र० सं० | भण्डारण स्थल का विवरण |           | जियो कोऑर्डिनेट्स |              | भण्डारित खनिज की मात्रा |                 | न्यूनतम सरकारी बोली की दर (रु० प्रति घ०मी०) | आधार मूल्य (रुपये में) | प्रो-बिड अर्नेस्ट मनी (EMD) (रुपये में) |
|----------|-----------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------------|-----------------|---|------------------------|---|
|          | तहसील                 | ग्राम     | NORTHING          | EASTING      | खनिज                    | मात्रा (घनमीटर) |   |                        |   |
| 1        | झाँसी                 | गोरामछिया | 25°-28'-12"       | 78°-40'-43"  | गिट्टी (06mm)           | 12,680.00       | 160.00                                      | 20,28,800.00           | 10,14,400.00                            |
| 2        | झाँसी                 | गोरामछिया | 25°-27'-29"       | 78°-40'-57"  | गिट्टी (06mm)           | 52,450.00       | 160.00                                      | 83,92,000.00           | 41,96,000.00                            |
| 3        | झाँसी                 | गोरामछिया | 25°-27'-32"       | 78°-41'-04"  | गिट्टी (06mm)           | 65,210.00       | 160.00                                      | 1,04,33,600.00         | 52,16,800.00                            |
| 4        | झाँसी                 | दिगारा    | 25°27'10.24"      | 78°39'24.72" | गिट्टी (06mm)           | 58,000.00       | 160.00                                      | 92,80,000.00           | 46,40,000.00                            |
| 5        | झाँसी                 | खैलार     | 25°-21'-08"       | 78°-31'-06"  | गिट्टी (06mm)           | 22,580.00       | 160.00                                      | 36,12,800.00           | 18,06,400.00                            |
| 6        | झाँसी                 | खैलार     | 25°-21'-09"       | 78°-30'-58"  | गिट्टी (06mm)           | 1,250.00        | 160.00                                      | 2,00,000.00            | 1,00,000.00                             |
| 7        | झाँसी                 | खैलार     | 25°-21'-05"       | 78°-31'-00"  | गिट्टी (06mm)           | 2,675.00        | 160.00                                      | 4,28,000.00            | 2,14,000.00                             |
| 8        | झाँसी                 | खैलार     | 25°21'12.93"      | 78°21'20.87" | गिट्टी (06mm)           | 26,000.00       | 160.00                                      | 41,60,000.00           | 20,80,000.00                            |
| 9        | गरौठा                 | चौकरी     | 25°34'54.73"      | 79°13'13.56" | गिट्टी (06mm)           | 55,000.00       | 160.00                                      | 88,00,000.00           | 44,00,000.00                            |
| 10       | गरौठा                 | चौकरी     | 25°34'53.72"      | 79°13'18.23" | गिट्टी (06mm)           | 52,000.00       | 160.00                                      | 83,20,000.00           | 41,60,000.00                            |

- 2- ई-निविदा ईमारती पत्थर(ग्रेनाईट) यथा गिट्टी के प्रति घनमीटर के लिये दी जाएगी जो ईमारती पत्थर(ग्रेनाईट) यथा गिट्टी, बोल्डर के लिये नियमावली, 2021 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रॉयल्टी की दर रु० 160.00 प्रति घनमीटर से कम नहीं होगी।
  - 3- भण्डारित ईमारती पत्थर(ग्रेनाईट) यथा गिट्टी, बोल्डर को हटाने की अवधि उक्त जब्तशुदा भण्डार के लिए मात्रा 1000 से 10,000.00 तक की मात्रा के लिये 01 माह की अवधि, 10,000.00 से 40,000 तक की मात्रा के लिये 02 माह की अवधि एवं 40,000 से 70,000 तक की मात्रा के लिये 03 माह की अवधि होगी तथा किसी भी दशा में निर्धारित अवधि का विस्तार नहीं किया जायेगा।
  - 4- ईमारती पत्थर (ग्रेनाईट) यथा गिट्टी के उपरोक्त किसी भण्डार की ई-निविदा में प्रतिभाग करने से पूर्व उक्त तालिका के कॉलम-10 में सम्बन्धित भण्डार के लिए अंकित प्रो-बिड अर्नेस्ट मनी (EMD) की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट (जो जिलाधिकारी, झाँसी के पक्ष में देय हो) अग्रिम रूप से जमा करना अनिवार्य होगा।
  - 5- इच्छुक व्यक्ति ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व प्रत्येक भण्डार में आंकलित उपखनिज (ईमारती पत्थर यथा गिट्टी, बोल्डर) की मात्रा, पहुँचमार्ग आदि के लिए मौके का निरीक्षण कर आश्वस्त हो लें। ई-निविदा में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
  - 6- यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड को प्रदेश में ई-निविदा कराने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगी:-
- (क) ई-निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले निविदाकार द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से टाईप-11 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा।



(2)

(ख) इच्छुक आवेदक को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से etender.up.nic.in पर ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। पंजीयन हेतु आवेदक को ई-निविदा etender.up.nic.in के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन फार्म भरना होगा, निविदादाता अपने स्वयं जनित यूजर आई0डी0 व पासवर्ड बनायेंगे।

7- कोई व्यक्ति/फर्म/निकाय, जो भारतीय हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई-निविदा संलग्न प्रारूप-1 पर प्रस्तुत कर सकता है। ई-निविदाकार को ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करते समय etender.up.nic.in पोर्टल पर स्वयं की आई0डी0 लॉगिन कर तकनीकी विड के समय उक्त प्रारूप-1 पर सूचनायें भरकर उसकी स्कैन प्रति एवं निम्नलिखित स्वप्रमाणित अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा:-

**प्रारूप-1 की सूचनायें:-**

- क- विज्ञापित संख्या व दिनांक: जिसके द्वारा ईमारती पत्थर (ग्रेनाईट) यथा गिट्टी के उक्त भण्डारों विज्ञापित किया गया है।
- ख- विज्ञापित में भण्डार का क्रमांक
- ग- निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई-मेल एवं मोबाईल नम्बर
- घ- गिट्टी के उस भण्डार का विवरण जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की गयी हो।
- ङ- अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रु0 2,000.00 का ट्रेजरी चालान संख्या व दिनांक।
- च- गिट्टी के प्रति घनमीटर के लिए दी जाने वाली दर (जो उस गिट्टी के लिये नियमावली, 2021 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रॉयल्टी की दर से कम नहीं होगी)।
- छ- आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र का क्रमांक।
- ज- पैन कार्ड का क्रमांक।

**स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र**

- क- अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रु0 2,000.00 का ट्रेजरी चालान।
- ख- आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र।
- ग- पैन कार्ड।
- घ- अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट।

8- यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या-7 में वांछित स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र एवं बैंक ड्राफ्ट की प्रति प्रारूप-1 के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई-निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी। अपलोड किये गये प्रारूप-1 की प्रति, स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र और बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में ई-निविदा निरस्त मानते हुए नहीं खोली जाएगी। बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञापित संख्या व दिनांक, विज्ञापित में भण्डार का क्रमांक तथा निविदाकार का नाम व मोबाइल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।

9- निर्धारित अवधि में प्राप्त ई-निविदाओं को दिनांक: 18/10/2025 को अपरान्ह 11.00 बजे जिला खनन कार्यालय, झॉंसी के सभाकक्ष में ई-निविदा समिति के सदस्यों द्वारा ई-निविदाकारों की उपस्थिति में खोला जायेगा।

10- ई-निविदा समिति की संस्तुति के आधार पर सहमति की दशा में सर्वोच्च ई-निविदाकार के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा आशय पत्र (लेटर ऑफ इन्टेट) जारी किया जायेगा। उच्चतम ई-निविदा प्रस्तुत करने वाले ई-निविदाकार को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट उन्हें वापस कर दिया जायेगा। सर्वोच्च ई-निविदाकार के मामले में अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा की गयी धनराशि उनके द्वारा देय कुल धनराशि (सर्वोच्च ई-निविदा की दर X भण्डारित खनिज की मात्रा) में समायोजित कर लिया



जाएगा। सर्वोच्च ई-निविदाकार को शेष धनराशि आशय पत्र प्राप्त करने के 02 कार्य दिवस के अन्दर जमा करना होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित सर्वोच्च ई-निविदाकार द्वारा अर्नेष्ट मनी के रूप में जमा धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी जिसके लिये कोई दावा/प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं होगा।

- 11- किसी भण्डार के लिए देय कुल धनराशि (प्राप्त सर्वोच्च ई-निविदा की दर x भण्डारित खनिज की मात्रा) सम्बन्धित सर्वोच्च ई-निविदाकार द्वारा जमा कर दिए जाने के पश्चात् सम्बन्धित भण्डार से निर्धारित अवधि के अन्दर ईमारती पत्थर (ग्रेनाईट) यथा गिटटी, बोल्डर हटाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित सर्वोच्च ई-निविदाकार के पक्ष में स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा।
- 12- जिलाधिकारी कोई कारण बताये बिना किसी अथवा सभी ई-निविदाओं को निरस्त कर सकते हैं।
- 13- ई-निविदा आमंत्रण हेतु ई-निविदा से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं शर्तों की जानकारी ऑनलाईन ई-निविदा पोर्टल "etender.up.nic.in" पर अपलोड कर दिया गया है जिसे सभी सम्बन्धित (इच्छुक निविदादाता) द्वारा देखा जा सकता है। उक्त से संबंधित सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं शर्तों की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में जिलाधिकारी कार्यालय (खनिज अनुभाग), झॉंसी से भी प्राप्त की जा सकती है।
- 14- सफल ई-निविदाकार को देय कुल धनराशि का 2 प्रतिशत आयकर (टी0सी0एस0) के रूप में तथा देय कुल धनराशि का 10 प्रतिशत जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास के रूप में जमा करना होगा।
- 15- जब्तशुदा उपखनिजों के उक्त भण्डारों से उपखनिज को हटाने (विक्रय व परिवहन करने) हेतु अनुज्ञा-पत्र निर्गत किये जाने के लिए चयनित आवेदक को नियमानुसार देय स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा।

जिलाधिकारी,  
झॉंसी।

पत्रांक व तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लि0, अशोक मार्ग, लखनऊ।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, लखनऊ।
6. वारेण्ट पुॉलिस अधीक्षक, झॉंसी।
7. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, झॉंसी।
8. सम्बन्धित थानाध्यक्ष, जनपद-झॉंसी।
9. जिला सूचना अधिकारी, झॉंसी को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
10. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, झॉंसी को जनपद झॉंसी की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. प्रभारी अधिकारी (नजारत), कलेक्ट्रेट, झॉंसी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

जिलाधिकारी,  
झॉंसी।

प्रारूप- 1

ई-निविदा प्रक्रिया हेतु प्रपत्र

महत्वपूर्ण-किसी प्रकार के कंटिंग/ओवरराइटिंग पर नीलामी बोली निरस्त की जा सकती है।

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 1  | विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो  |  |  |
| 2  | विज्ञप्ति में भण्डार का क्रमांक   |  |  |
| 3  | ई-निविदाकार का नाम  |  |  |
| 4  | ई-निविदाकार के पिता का नाम  |  |  |
| 5  | स्थायी पता  |  |  |
| 6  | वर्तमान पता   |  |  |
| 7  | मोबाइल नम्बर  |  |  |
| 8  | ई-मेल आईडी  |  |  |
| 9  | जिस भण्डार के लिए ई-निविदा दी जानी है उसका विवरण,<br>(क) उपखनिज-ईमारती पत्थर(ग्रेनाईट)यथा गिट्टी,बोल्डर/स्टोन डस्ट<br>(ख) जनपद - झाँसी<br>(ग) तहसील -<br>(घ) ग्राम-<br>(ङ) आराजी संख्या-                              |  |  |
| 10 | आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र संख्या  |  |  |
| 11 | पैन कार्ड नम्बर   |  |  |
| 12 | गिट्टी/बोल्डर/स्टोन डस्ट के प्रति घन मीटर के लिए दी जाने वाली दर (जो उस गिट्टी के लिये नियमावली,2021 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रॉयल्टी की दर से कम नहीं होगी)।   |  |  |
| 13 | अर्नेस्ट मनी की धनराशि (भण्डार में आंकलित मात्रा को नियमावली, 2021 के अनुसूची-1 में गिट्टी के लिए प्रचलित रायल्टी की दर ₹0 160.00 प्रति घनमीटर से गुणा करने पर प्राप्त धनराशि का 50 प्रतिशत) के बैंक ड्राफ्ट का विवरण |  |  |

उपरोक्त उल्लिखित विवरण मेरी जानकारी में सही व सत्य है। कोई सूचना छिपायी नहीं गयी है तथा मैं ई-निविदा आमत्रण प्रपत्र की समस्त शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

दिनांक-

निविदाकार के हस्ताक्षर